डिसक्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 07/2024-25 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/दिल्ली/सीपी-IV/2023-24

परामर्श पत्र संख्या 07/2024-25

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली (डीईएल) के संबंध में चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2024 - 31.03.2029) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 31 जनवरी, 2025

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए) ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2019 और 2021 के साथ पठित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) अधिनियम, 2008 की धारा 2(i) में निर्धारित परिभाषा के अनुसार वार्षिक यात्री आवागमन (थ्रूपुट) की मात्रा के आधार पर प्रमुख हवाईअड्डा है। वित्त वर्ष 2024 में इस हवाईअड्डे से यात्री आवागमन मात्रा लगभग 73.7 एमपीपीए थी और कोविड-19 महामारी के बाद इस यातायात में लगातार वृद्धि दर्ज की गई।

आईजीआईए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रचालित किया गया था, जिसने बाद में प्रभावी तारीख (सीओडी) से 30 वर्ष की अवधि के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 04 अप्रैल, 2006 को वर्तमान हवाईअड्डा प्रचालक (डेल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) के साथ प्रचालन, प्रबंधन और विकास करार (ओएमडीए) किया था।

ऐरा अधिनियम, 2008, ओएमडीए और एसएसए के प्रावधानों के अनुसार डीआईएएल ने अपना बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) निम्नानुसार प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रथम नियंत्रण अवधि, द्वितीय नियंत्रण अवधि और तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप प्रस्ताव।
- 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029 तक की चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी)।

इस परामर्श पत्र को तैयार करने के दौरान प्राधिकरण ने डीआईएएल द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2020-24) के पांच वर्ष के प्रस्तुत लेखा-परीक्षित आंकड़ों को मान लिया है।

प्राधिकरण ने आईजीआईए के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के कार्य के भाग के रूप में अपने प्रस्तावों को सूचीबद्ध करते हुए यह परामर्श पत्र जारी किया है। प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा हितधारकों के फीडबैक को गुणावगुण आधार पर ध्यान में रखकर वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में अंतिम आदेश जारी करेगा।

प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के प्रावधान के अनुसार यदि सार्वजनिक हित में और उचित माना जाता है तो नियंत्रण अवधि के दौरान नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ आदेश के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ की समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है,

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 जनवरी, 2025 के परामर्श पत्र संख्या 07/2024-25 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
उड़ान भवन, तृतीय तल, डी, ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003,
ई-मेल director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in, प्रतिलिपि : secretary@aera.gov.in,

हितधारक परामर्श बैठक	:	17 फरवरी, 2025
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	3 मार्च, 2025
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	13 मार्च, 2025

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या 011-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

14 *हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 2 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप ।

2.6.1 वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को वैमानिक करों की गणना करते समय खर्च के रूप में न मानना।

2.6.2 तालिका 10 के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

2.6.3 तालिका 13 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप को मानना।

2.6.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप के दौरान 855.32 करोड़ रूपए की कम वसूली को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य के भाग के रूप में मानना ।

अध्याय 3: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप।

3.7.1 वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को वैमानिक करों की गणना करते समय खर्च के रूप में न मानना।

3.7.2 तालिका 21 के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

3.7.3 तालिका 24 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप को मानना।

3.7.4 तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के दौरान 3,256.61 करोड़ रूपए की अधिक वसूली को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण कार्य के भाग के रूप में मानना।

अध्याय 4: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप

4.11.1 तालिका 25 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक आकंड़ों के आधार पर यातायात को मानना।

4.11.2 तालिका 73 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्र-अप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास और आरएबी को मानना।

4.11.3 तालिका 76 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए डब्ल्यूएसीसी को मानना।

4.11.4 तालिका 163 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक प्रचालन और अनुरक्षण खर्च को मानना।

4.11.5 तालिका 169 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए राजस्व शेयर परिसंपत्तियों से राजस्व को मानना।

4.11.6 तालिका 171 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.7 वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को वैमानिक करों की गणना करते समय खर्च के रूप में न मानना।

4.11.8 तालिका 174 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक करों को शून्य मानना।

4.11.9 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि तक 852.04 करोड़ रूपए की अधिक वसूली (तालिका 177 के अनुसार) को मानना।

अध्याय 5: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए यातायात अनुमान

5.3.1 तालिका 184 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के यातायात को मानना, जिसे पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ट्रू-अप किया जाएगा।

अध्याय 6: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

6.4.1 तालिका 234 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास और आरएबी को मानना

6.4.2 तालिका 210 और तालिका 214 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए एक्सपेंशन कैपेक्स के लिए आईडीसी की अनुमति देना।

6.4.3 तालिका 229 में उल्लेख किए अनुसार यदि कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत नहीं होती है तो लक्षित राजस्व से परियोजना की पूंजीकृत न की गई लागत की 1% राशि घटाना (समायोजित करना)। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसकी जांच की जाएगी।

6.4.4 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वास्तव में वहन किए गए खर्च के आधार पर कैपेक्स पर (सीडब्ल्यूआईपी सहित) जीएसटी को मानना।

6.4.5 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।

6.4.6. तालिका 234 में उल्लेख किए अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए आरएबी की गणना करते समय औसत आरएबी को मानना और पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आरएबी में वास्तविक परिवर्धनों के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय, मूल्यह्रास और आरएबी को उपयुक्त, कार्यक्षम और औचित्यपूर्ण होने की शर्त पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को ट्रू-अप करना।

अध्याय 7 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए औसतन भारित पूंजीगत लागत (डब्ल्यूएसीसी)

7.3.1. तालिका 238 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ईक्विटी की लागत, ऋण की कार्यक्षम लागत, काल्पनिक ऋण, ईक्विटी अनुपात और डब्ल्यू एसीसीसी को मानना।

7.3.1. पचंम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक (या) एसबीआई औसत एक वर्ष एमसीएलआर प्लस 150 बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को ट्रू-अप करना।

अध्याय 8 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.3.1 तालिका 240 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति दरों को मानना।

अध्याय 9 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्च

9.3.1 तालिका 283 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को ट्र-अप करना।

अध्याय 10 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए राजस्व शेयर परिसंपत्तियों से राजस्व

10.3.1 तालिका 313 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए राजस्व शेयर परिसंपत्तियों और एस फेक्टर से राजस्व को मानना।

10.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर राजस्व शेयर परिसंपत्तियों से राजस्व के ट्रू-अप को मानना।

अध्याय 11: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर

11.3.1 वैमानिक करों का परिकलन करते समय वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को खर्च के रूप में न मानना।

11.3.2 तालिका 315 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक करों को मानना।

अध्याय 12: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता के कारण कुल राजस्व अपेक्षा/लक्षित राजस्व में किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

अध्याय 13 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए लक्षित राजस्व

13.3.1 तालिका 318 के अनुसार डायल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए लक्षित राजस्व और वाईपीपी को मानना।

13.3.2 डायल को यह निदेश देना कि वे वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) यह परामर्श पत्र जारी होने के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दें, इसे हितधारकों के परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।

15 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

15.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार इस परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 14–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

15.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

15.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 3 मार्च, 2025 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, **उडान भवन**, **सफदरजंग हवाईअड्डा**,
नई दिल्ली –110003.

(अध्यक्ष)